# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 56/2020
3. उनवान : सरकार जरिये थानाधिकारी, थाना दूदू

बनाम

1. श्री महावीर पुत्र श्री बाबूलाल किरार राजपूत।
2. श्री राजू पुत्र श्री रामप्रसाद किरार राजपूत।
3. श्री राजू पुत्र श्री ओमप्रकाश किरार राजपूत निवासी दहगया पीएस जगनेर, आगरा।

4. निर्णय दिनांक : 06.10.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

## निर्णय

### प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी थानाधिकारी, थाना दूदू, जयपुर ग्रामीण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 18.09.2010 को मुखबिर की सूचना पर ग्राम गिदानी के पास एक मकान के पीछे चारदीवारी में दबिश दी। जांच कार्यवाही के दौरान 6000 लीटर फर्निश ऑईल व 5000 लीटर काला जला हुआ फर्निश ऑईल जब्त किये गये। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त ऑईल का बिना किसी लाईसेंस, परमिशन के भण्डारण किया जा रहा था। प्रकरण के सन्दर्भ में कोई सन्तोषप्रद जवाब एवं वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, एफ.आई.आर. आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत अन्तरिम निस्तारण करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) दर्ज रजिस्टर कर जब्त सामग्री के अन्तरिम निस्तारण के आदेश दिनांक 20.09.2010 को दिये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अप्रार्थीगण/अभिभाषकगण की ओर से आदिनांक तक कोई जवाब पेश नहीं किया गया। तत्पश्चात प्रकरण जवाब/बहस हेतु नियत किया गया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी। इस पर भी अप्रार्थी/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 06.10.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 18.09.2010 को जब्त सामान का अप्रार्थीगण द्वारा अवैध भण्डारण किया किया जा रहा था। मौके पर उक्त तेल जमीन में बने खुले टैंक में भण्डारित था। अप्रार्थी की ओर से उक्त वस्तुओं की वैधता के संबंध में मौके पर तथा आज तक कोई साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं करवाये गये तथा कोई सन्तोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में आज तक कोई क्लेम नहीं किया गया है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 15 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। ऐसी स्थिति में फर्द जब्ती से जब्त वस्तुओं के संबंध में सन्तोषप्रद जवाब अथवा कोई वैध दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रार्थी द्वारा जब्त सामान 6000 लीटर फर्निश ऑईल व 5000 लीटर काला जला हुआ फर्निश ऑईल को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर ग्रामीण को निर्देश दिये जाते हैं कि सम्बन्धित थाने से सम्पर्क कर जब्त वस्तुओं का विधिवत अन्तिम निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate (III) • JAIPUR •

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर